न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, प्रतापगढ़।

––––––––––––––––––––––––––––

राज्य बनाम महफूज आदि

सत्र परीक्षण संख्या–1031/2023
मु०अ०सं०–141/2020
धारा–323, 506 भा०दं०सं०
थाना–रानीगंज, जिला–प्रतापगढ़।

30.08.2024

पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र–6 ख हेतु पेश हुई।

पूर्व नियत तिथि पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थना पत्र–6 ख अन्तर्गत धारा–228 द०प्र०सं० अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के संबंध में यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया है कि वर्तमान प्रकरण में दौरान विवेचना केस डायरी के पर्चा नंबर 2 में चश्मदीद साक्षी सैदा बेगम तथा पर्चा नंबर 3 में ऐजा बानो तथा पर्चा नंबर 9 में मजरूब शाहरूख खान का धारा 151 द०प्र०सं० में बयान अंकित किया गया है। उक्त साक्षीगण ने धारा 161 द०प्र०सं० द०प्र०सं० के बयान में अभियुक्त महफूज द्वारा गोली चलाने से सिर में चोट आना बताया है। केस डायरी के पर्चा नंबर 12 में प्रार्थी वादी मुकदमा का धारा 161 द०प्र०सं० में बयान अंकित किया गया है। प्रार्थी ने भी अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथानक का पूर्ण समर्थन किया है। विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नंबर 28 तक 307, 323 भा०दं०सं० में विवेचना किया। केस डायरी के पर्चा नंबर 29 में धारा 307 भा०दं०सं० का लोप कर दिया है। केस डायरी का पर्चा नंबर 31 में चोटहिल साक्षी वासिफ उर्फ कल्लू का 161 द०प्र०सं० में बयान अंकित किया है। उक्त साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 12.04.2000 को सुबह 8:30 बजे इमरान के परिवार से व मेरे परिवार से विवाद होने लगा। शाहरूख खान बीच–बचाव के लिए गया तो शाहरूख खान के ऊपर महफूज ने गोली चला दिया जिससे उसके सिर में चोट आ गयी मुझे भी चोट लगी जिसकी डाक्टरी हुई थी। आरोप पत्र में उल्लिखित सभी साक्षीगण ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथानक का फायर करके चोट पहुंचाने का समर्थन किया है किन्तु अभियुक्तगण के प्रभाव के कारण धारा 307 भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया है। क्रम संख्या ई 837 पर सी०एच०सी० रानीगंज में चोटहिल शाहरूख का मेडिकल 8:34AM पर 12.04.2020 को परीक्षण किया गया है उसके मेडिकल रिपोर्ट में

Digitally signed by SUNITA SINGH NAGORE
Date: 2024.09.11 15:38:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिर फटा हुआ घाव पाया गया है। चोट ताजी निगरानी में रखते हुए एक्सरे की सलाह दी गयी है। दिनांक 15.04.2020 को जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में शाहरूख का एक्सरे हुआ जिसमें दो धातुयी घनत्व की छाया पायी गयी कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया है। एक्सरे के डाक्टर द्वारा एक्सरे रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि धातुयी घनत्व की छाया पायी गयी है किन्तु इंजरी रिपोर्ट से फायर आर्म्स की चोट नहीं दिखती इसलिए आर०डी०सी० की विशेष राय ली जाये। दिनांक 24.02.2021 पुनः शाहरूख की मेडिकल बोर्ड से परीक्षण हुआ तथा एक्सरे हुआ। एक्सरे में सिर के आक्सीपिटल के मध्य में 2 रेडियोओपिक सैडो मेटलिक डिनेस्टी सीन अंकित करते हुए फाइनल ओपिनियत के लिए एफ०एस०एल० रिफर किया। केस डायरी के पर्चा नंबर 22 में विवेचक द्वारा उल्लेख किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में मेडिकल बोर्ड द्वारा मजरूब का एक्सरे प्लेट जांच कराने हेतु एफ०एस०एल० के लिए लिखा गया था जिसे प्रयागराज विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था पुनः विधि विज्ञान झांसी के लिए डाकेट बनाया गया। मजरूब शाहरूख के पहले एक्सरे की लीड संख्या 586/2020 है। मेडिकल बोर्ड द्वारा एक्सरे की लीड संख्या 357/21 है। मेडिकल बोर्ड द्वारा एफ०एस०एल० एक्सरे प्लेट 357/21 भेजने हेतु संदर्भित की गयी किन्तु विवेचक ने मेडिकल बोर्ड की नंबर 357/21 न भेजकर प्रार्थी एक्सरे प्लेट नंबर 586 प्रेषित किया है जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 11बी/2 से स्पष्ट है। विवेचक द्वारा बिना एफ०एस०एल० रिपोर्ट प्राप्त किये। संबंधित डाक्टर मेडिकलकर्ता से चोट को कुन्दओं से आना व साधारण प्रकृति की होना लिखवा दिया जब कि मेडिकल बोर्ड अपनी राय देने में असमर्थ रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था मध्य प्रदेश राज्य बनाम कान्हा उर्फ ओम प्रकाश सीसी एससी 2019 वैलूम 2 पेज 578 पर अभिमत व्यक्त किया गया है कि धारा 307 भा०दं०सं० अभिमत व्यक्त किया गया है कि धारा 307 भा०दं०सं० के अपराध हेतु घोर या जीवन को चुनौती देने वाली उपहति का सबूत अनिवार्य नहीं है। अभियुक्त का आशय व प्रयुक्त हथियार ही धारा 307 भा०दं०सं० के अपराध आकृष्ट के लिए पर्याप्त है। चोटहिल शाहरूख के सिर में जो शरीर का मर्मस्थल हैं आग्नेयास्त्र की चोट पायी गयी है। विवेचक ने अभियुक्तगण को लाभ पहुंचाने की गरज से निष्पक्ष विवेचना न ही किया अपितु अधिकारिता से परे विचारण करके धारा 307 भा०दं०सं० का लोप किया है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 6अ/10 ई 837 वाह्य रोगी टिकट से वासिब के सिर में दाहिने तरफ फटा हुआ घाव का उल्लेख है तथा एक्सरे के लिए संदर्भित है। चोटहिल वासिव 12.04.2020 से 16.04.2020 तक जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में भर्ती रहा कागज संख्या 6अ/9 से स्पष्ट है कि किन्तु उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट संकलित नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण पर धारा 307 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किए जाने की साक्ष्य उपलब्ध है। न्यायहित में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307

भा०दं०सं० में संज्ञान लेते हुए आरोप विरचित किया जाना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था पलिविन्दर सिंह बनाम बलिविन्दर सिंह एसीसी 2009 वैलूम 65 पेज 399 के अनुसार Charge can be framed also on basis of strong suspicion. द०प्र०सं० के उपबंधों के अनुसार छोटे अपराध में आरोप विरचित करने पर बड़े अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है किन्तु बड़े अपराध में आरोप विरचित करने पर साक्ष्य से छोट अपराध साबित होने पर बिना आरोप विरचित किये दोषसिद्ध किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांतों के अनुसार मेडिकल साक्ष्य एक राय है। मौखिक साक्ष्य मेडिकल साक्ष्य पर अधिक प्रभावी होगी। प्रश्नगत प्रकरण में एफ०एस०एल० रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड के एक्सरे प्लेट पर नहीं प्राप्त की गयी है। ऐसी दशा में एफ०एस०एल० रिपोर्ट की विधि मान्यता शून्य है। न्यायहित में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 307 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किये जाने का आदेश पारित किया जाना मुकदमें के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण पर धारा 307 भा०दं०सं० का संज्ञान लेते हुए आरोप विरचित करने की याचना की गयी है।

इस प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति–7 ख से प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि उपरोक्त मुकदमें में विवेचना के पश्चात आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 323, 506 भा०दं०सं० में प्रेषित हुआ जिस पर केश डायरी के अवलोकन के पश्चात लायक अदालत मातहत ने संज्ञान लिया क्योंकि इस मामले का क्रास केस अ०सं० –140/20, धारा–147, 148, 149, 307, 323, 302, 504, 506 भा०दं०सं० श्रीमानजी के समक्ष राज्य बनाम वासिब उर्फ कल्लू श्रीमानजी के न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए उपरोक्त मुकदमा भी सत्र न्यायालय क्रास केस होने के कारण सुपुर्द होकर धारा 93 द०प्र०सं० में संज्ञान के आरोप हेतु नियत है। वादी/अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत बनाये जाने आरोप अं० धारा 307 भा०दं०सं० असत्य कथनों के आधार पर दिया गया है जो कि निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त मुकदमें की प्राथमिकी घटना के 5 दिन बाद दर्ज की गयी थी लेकिन प्राथमिकी में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कथित मजरूब शाहरूख खान को गोली की चोट आयी हैं प्राथमिकी में उसे गोली लगना नहीं कहा जाता है। जहां तक गवाहों के बयानों में गोली लगने की बात लिखे जाने का पश्न है तो गवाह सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसी बात की तो विवेचना होता है और विवेचना के पश्चात समस्त तथ्यों मेडिकल रिपोर्ट प्रयोगशााला की रिपोर्ट देखने के पश्चात विवेचक इस नतीजे पर पहुंचा कि कथित मजरूब को कोई गोली की चोट नहीं आयी है और इस आधार पर धारा 307 भा०दं०सं० का लोप करके धारा 323 भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया है। मजरूब शाहरूख के मेडिकल के समय डाक्टर ने अग्नेयास्त्र/गोली की चोट का कोई साक्ष्य या लक्षण नहीं पाया

केवल चोटों के एक्सरे की सलाह दिया और डाक्टर ने पर्चा नंबर 10 में दिये गये अपने बयान में भी कहा है कि मेरे द्वारा कोई आग्नेयास्त्र की चोट नहीं पायी गयी और पूरक रिपोर्ट में भी डाक्टर ने चोटों की प्रकृति कुन्दालय से आना लिखा है। मजरूब के दिनांक 15.04.2020 को हुए एक्सरे में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया तथा 2 गोलाकार धातु घनत्व की छाया पाये जाने का उल्लेख है लेकिन डाक्टर ने शक जाहिर करते हुए मामले को आरडीसीसी/रिजनल डायग्नोसिस सेंटर भेजे जाने के लिए रेफर कर दिया। दिनांक 24.02.2021 को मेडिकल बोर्ड ने मामले को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने का आदेश दिया और दिनांक 30.09.2021 की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट जिसका उल्लेख केस डायरी के पर्चा नंबर 28 में है, में डाक्टर ने लिखा है कि "फायर आर्म से संबंधित छर्रे की चोट दृष्टिगोचर नहीं हुई।" इस प्रकार विशेषज्ञ की राय से भी मजरूब को कोई आग्नेयास्त्र की चोट नहीं पायी गयी है और इन्हीं आधारों पर विवेचक ने धारा 307 भा०दं०सं० का लोप किया है। विवेचक ने कथित घटना में आग्नेयास्त्र का चलना ही नहीं पाया गया है तो धारा 307 भा०दं०सं० का अपराध गठित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मजरूब के सर में पाया गया छर्रा गोलाकार है जो कि फायर होने के बाद गोल रहना संभव नहीं है उसकी आकृति बदल जायेगी इन्हीं आधारों पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला व डाक्टरों ने कहा है कि मजरूब को कोई आग्नेयास्त्र की चोट नहीं थी। छर्रा सर से ऊपर ही चमड़ी के नीचे रखवाया लगा हैं यदि मेडिकल के समय वह छर्रा होता तो छूने से पता चल जाता क्योंकि वहां पर कोई मांस नहीं होता है। मेडिकल दिनांक 12.04.2020 को हो रहा है तथा एक्सरे दिनांक 15.04.2020 को हो रहा है तथा मजरूब इस 3 दिन तक कहां रहा इसका कोई उल्लेख नहीं है न भर्ती रहने का कोई साक्ष्य है। इस बीच उसने छर्रा सर में रखवा लिया। क्रास केस की घटना अपने अपराध से बचने के लिए छर्रा रखवाकर एक्सरे करवाया गया ताकि इससे बचा जा सके और अब मात्र हत्या के मुकदमें में सुलह के लिए दबाव बनाने के लिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिया गया है जो निरस्त होने योग्य है। जहां तक संदेह पर आरोप विरचत की विधि व्यवस्था का प्रश्न है तो वह डिस्चार्ज के ऊपर है यहां पर डिस्चार्ज का कोई मामला है ही नहीं न ही डिस्चार्ज का कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत है। दौरान विचारण अगर न्यायालय को लगता है तो आरोप कभी भी परिवर्तित हो सकता है। दिनांक 15.04.2020 व 24.02.2021 को एक्सरे प्लेट में कोई भिन्नता नहीं है दोनों में गोलाकार छर्रा पाया गया था। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है और पोषणीय नहीं है। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए धारा 323, 506 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोगी/वादी मुकदमा की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **Vaneet Mahajan versus State of Punjab and others 2017 (3) CCSC**

1405 (SC) एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **PALWINDER SINGH Versus BALWINDER SINGH and others [2009(65)ACC 399]** तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **The State of Madhya Pradesh Versus Kanha @ Omprakash Criminal Appeal No. 1589 of 2018 (Arising out of Secial Leave Petition (CRL) No. 1433 of 2013)** दाखिल की गयी है, जिनका ससम्मान अध्ययन किया गया जो कि मामले की तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होती।

वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र–6 ख, अन्तर्गत धारा–228 द०प्र०सं० दाखिल कर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–307 भा०द०सं० का संज्ञान लेते हुए आरोप विरचित करने की प्रार्थना की गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति, अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थना पत्र–7 ख से दाखिल किया गया है। पत्रावली पर मौजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 12.04.2020 प्रातः 8:30 बजे की बतायी जाती है जिसके अनुसार एकराय होकर अभियुक्तगण महफूज व मासूक सुतगण हामिद अपने साथी हलीम व इनामुल द्वारा सूचनाकर्ता के भाई वासिफ उर्फ कल्लू पर ताबड़तोड़ तमंचे से जान से मारने की नियत से फायर करने का कथन किया गया है। सूचनाकर्ता के अनुसार उसका भाई किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा तो उक्त लोगों ने लाठी–डण्डा, सरिया से उसके भाई पर जानलेवा हमला किया। भाई की हल्ला गोहार सुनकर पड़ोस के शाहरूख व वसीम उर्फ नन्हे बीच–बचाव करने दौड़े तो उक्त लोग वसीम को लाठी से मारकर घायल कर दिया तथा शाहरूख पर भी फायर किया। घटना के समय हामिद बीच–बचाव करने आये कि तभी इनामुल ने भाई पर जान से मारने के लिए फायर किया तो हामिद को लग गयी। भाई व चोटहिल को प्राथमिक उपचार हेतु रानीगंज सी०एच०सी० ले गये, जहाँ से जिला अस्पताल रिफर कर दिया।

पत्रावली पर मौजूद सी०डी० नम्बर 10 कागज संख्या 8अ/15 बयान डॉक्टर मेडिकोलीगल डॉक्टर ओम प्रकाश पटेल चिकित्साधिकारी के अनुसार मजरूब सोहराब पुत्र शमशाद का मेडिकल परीक्षण उनके द्वारा दिनांक 12.04.2020 को समय 08:54AM पर किया गया। मजरूब को एक चोट Lacerated wound from oxipital area in mid अंकित किया है तथा सिर के एक्सरे के लिये भी लिखा है तथा दिनांक 15.04.2020 को हुए एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर अपना ओपिनियम दिनांक 26.04.2020 को caused by hard and blunt object, simple in nature अंकित है। कोई भी फायर आर्म्स इंजरी नहीं पायी गयी है। किसी फायर आर्म्स इंजरी का अंकन नहीं किया है, अंकित है। सी०डी० नम्बर 11 कागज संख्या 8अ/16 के अनुसार "शाहरूख खां के एक्सरे के बावत व मेडिकोलीगल के बारे में वार्ता की गयी मौखिक रूप से एसपीओ महोदय द्वारा बताया गया कि मेडिकोलीगल तथा एक्सरे रिपोर्ट में विरोधाभाष है मजरूब के सिर में मेटलिक सैडो पाया

गया है परन्तु वह किस प्रकार का सैडो है क्या वह 12 बोर के छर्रे है अथवा और किसी प्रकार के मेटल है इसके बाबत समीक्षा करना नितान्त आवश्यक है तथा मेडिकोलीगल डॉक्टर द्वारा कोई भी फायर आर्म्स इंजरी न लिखना तथा मेडिकोलीगल में डॉक्टर द्वारा मेडिकोलीगल में नीचे अपने हस्तलेख में एक्सरे रिपोर्ट को दर्शते हुए यह लिखना कि उक्त चोट सिम्पल इन नेचर काज्ड बाई हार्ड एण्ड ब्लन्ट आब्जेक्ट अपने आप में काफी विरोधाभाष पैदा करता है ऐसे में आप को एक्सरे रिपोर्ट पुनः दिखाते हुए पूछताछ करे तथा हो सके तो एफएसएल की राय ले जो अति आवश्यक है तथा पूर्व विवेक का भी बयान ले, हो सके तो मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर पुनः मेडिकोलीगल कराये" अंकित किया है। सी०डी० नम्बर 14 कागज संख्या 8अ/19 के अनुसार "मुकदमा उपरोक्त में मजरूब शाहरूख सुत मो० शमसाद का प्रारम्भिक मेडीकोलीगल CHC रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ के डॉक्टर ओमप्रकाश पटेल द्वारा दिनांक 12.04.2020 को किया गया था जिसमें मजरूब को सिर में लगी चोट के एक्सरे हेतु एडवाइस किया गया था परन्तु मेडीकोलीगल रिपोर्ट में उक्त मजरूब को लगी उक्त चोट फायर आर्म्स इंजरी से आना नहीं अंकित किया गया था। जबकि दिनांक 15.04.2020 को जिला अस्पताल जनपद प्रतापगढ़ के रेडियोलाजिस्ट विभाग के डॉक्टर एम०डी० कलीम अकमल द्वारा मजरूब शाहरूख उपरोक्त के सिर का एक्सरे किया गया तथा एक्सरे रिपोर्ट में दो राउंडेड शेडो ऑफ मेटेलिक डेन्सिटी पाया जाना अंकित किया गया है तथा यह भी अंकित किया गया है कि मेडिकोलीगल में फायर आर्म्स इंजरी अंकित नहीं किया गया है। जबकि दिनांक 26.04.2020 को उक्त एक्सरे रिपोर्ट व प्लेट के आधार पर मेडीकोलीगल डॉक्टर ओमप्रकाश पटेल द्वारा पृष्ठ के नीचे मजरूब की चोट को साधारण प्रकृति की तथा हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आना अंकित किया है। इस प्रकार मेडिकोलीगल रिपोर्ट तथा एक्सरे रिपोर्ट में विरोधाभास है तथा उक्त डॉक्टरों के बयान से भी आपस में अपने को सही बताया गया है। ऐसे में विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ से कि क्या उक्त मेटेलिक शेडो फायर आर्म्स द्वारा कारित किया गया है तथा यह मेटेलिक शेडो किस के फायर का है ज्ञात करना अति आवश्यक है। इस संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।" अंकित है। सी०डी० नम्बर 15 के अनुसार "मुकदमा उपरोक्त में मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। जिसमें कुल 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा मजरूब शाहरूख सुत शमशाद का पुनः मेडिकल परीक्षण किया गया है। डा० एम०डी० कलीम अकमल द्वारा मजरूब उपरोक्त का पुनः एक्सरे दिनांक 24.02.2021 को ईयरली नं० 357/2021 को किया गया है। जिसमें मजरूब को 02 round radio apaire shadow of metallic deurity seen in mid of oceipitre region. Reffered to FSL for final opinion अंकित है। मेडिकोलीगल रिपोर्ट डॉ० अभिषेक सिंह ने तैयार किया है। जिसमें मजयब शाहरूख उपरोक्त को Headed liver seen

on upper part of mid ociputed region no headerws seen K.U.O. अंकित है। सी०डी० नम्बर 28 कागज संख्या 8अ/33 के अनुसार "विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजगढ़ झांसी 281435 Part N 105647 प्रेषक उप निदेशक विधिविज्ञान प्रयोग शाला उ०प्र० राजगढ़ झांसी 244135, सेवा में क्षेत्राधिकारी रानीगंज प्रतापगढ़ पत्रांक संख्या 97Bal21 अपराध संख्या 141/20 धारा 323,507 भा०दं०सं० राज्य बनाम महफूज अली थाना रानीगंज दिनांक 02.07.2021 को विशेष वाहक हे०का० अमरेश तिवारी द्वारा उपरोक्त से सम्बन्धित पत्र तथा निम्न प्रदर्श प्राप्त हुए। 1. दो अदद नमूना मोहर प्राप्त हुई जिन्हें न 1 व न 2 से चिन्हित किया गया है। 2. एक सर्व मोहर लिफाफा जिस पर न 1 के समान मोहरे लगी है तथा लिफाफे पर मु०अ०सं० 141/20 बनाम महफूज आदि लिखा है को खोलने पर एक एक्सरे प्लेट प्राप्त हुआ जिसे X1 से चिन्हित किया गया है। निरीक्षण एक्सरे प्लेट चिन्हित X1 सिर का एक्स रे प्लेट है जिसकी लम्बाई 30.3 सेमी० व चौड़ाई 25.2 सेमी० है एक्सरे प्लेट का निरीक्षण करने पर पाया गया कि सम्बन्धित सिर के एक्सरे प्लेट (चित्र) में फायर आर्म से सम्बन्धित छर्रे की चोट दृष्टिगोचर नहीं हुई। परिणाम विवाद एक्सरे प्लेट चिन्हित X1 पर फायरिंग से सम्बन्धित कोई चोट दृष्टिगोचर नहीं हुई।" अंकित किया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या कागज संख्या 9अ/6 के अनुसार "एक्सरे प्लेट चिन्हित X–1 सिर का एक्सरे प्लेट है जिसकी लम्बाई 30.3 सेमी० व चौड़ाई 25.2 सेमी० है एक्सरे प्लेट का निरीक्षण करने पर पाया गया कि सम्बन्धित सिर के एक्सरे प्लेट (चित्र) में फायर आर्म से सम्बन्धित छर्रे की चोट दृष्टिगोचर नहीं हुई।"

ऐसे में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप अन्तर्गत धारा–307 भा०दं०सं० बनाये जाने के आधार पर्याप्त नहीं हैं तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–323,506 भा०दं०सं० का आरोप विरचित करके उनका विचारण किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रार्थना पत्र–6 ख, अन्तर्गत धारा–228 द०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 11.09.2024 को पेश हो।

दिनाँक–30.08.2024
स्थान–प्रतापगढ़।

(सुनीता सिंह नागौर)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०–I, प्रतापगढ़।